"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2002—आश्विन 19, शक 1924

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 3695/2001/55.—प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव्ह मेडिसिन के प्रवेश के विनियम के विनियम 15 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विनियम के विनियम-3, को तथा विनियम 12 के उपनियम-1, 2, 3, 4, 5, 10 तथा 11 को एतद्द्वारा विलोपित करता है तथा विनियम-10, को विनियम-12 के उपविनियम-12 एवं 13 को, तथा विनियम-16 के उपविनियम-1 को निम्नानुसार संशोधित करता है :—

10. उम्मीदवारों द्वारा अर्हकारी परीक्षा में के प्राप्तांकों के आधार पर संचालक द्वारा प्रावीण्यता सूची (MERIT LIST) अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए अलग-अलग तैयार की जावेगी. इन प्रावीण्यता सूचियों से, उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जावेगा.

12. (12) निजी क्षेत्र की संस्थाओं में रिक्त होने वाली "फ्री सीटों" के विरुद्ध प्रवेश, मेरिट अंकों के आधार पर प्रवेशित पेमेन्ट सीटों के उम्मीदवारों को दिया जावेगा बशर्ते कि वे छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी होने संबंधी शर्तों की पूर्ति करते हों.

12. (13) प्रवेश की अंतिम तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित की जावेगी, तथा इस तिथि के पश्चात् रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश की कार्यवाही छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित तिथि एवं समय में मंडल के प्रतिनिधि की उपस्थिति में संबंधित संस्थाओं द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रतीक्षा सूची से की जावेगी. तथा इस तिथि के बाद किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं दिया जावेगा.

16. (1) प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव्ह मेडिसिन पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र/दस्तावेज एवं उनकी एक-एक अभिप्रमाणित प्रति संस्था में प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर वे प्रावीण्यता क्रमानुसार सीट/संस्था में प्रवेश का अवसर खो देंगे :—

(1) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची.

(2) कक्षा आठवीं से अब तक उम्मीदवार के अध्ययन में यदि कोई व्यवधान हो तो तत्संबंधी कारण बताते हुए न्यायालय का शपथ-पत्र जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि उसने किसी संस्था में प्रवेश नहीं लिया तथा किसी गैर कानूनी गतिविधियों में भाग नहीं लिया.

(3) अभी तक, जिस संस्था में पढ़ रहे थे उसके प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जिसमें यह उल्लेख भी हो कि उम्मीदवार उक्त संस्था में कब से कब तक अध्ययनरत रहा.

(4) पासपोर्ट साइज फोटो की दो अभिप्रमाणित प्रतियां.

(5) नीचे दी गई तालिका के अनुसार निर्धारित प्रारूप में वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र.

तालिका

क्र. (1)	वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता (2)	प्रमाण-पत्र का प्रारूप (3)
1.	जिस वर्ष प्रवेश चाहा गया है उसके ठीक 5 वर्ष पूर्व की अवधि में यदि उम्मीदवार ने छत्तीसगढ़ स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया है.	प्रारूप 7 में
2.	उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है.	प्रारूप 8 में
3.	यदि उम्मीदवार छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी का पुत्र/ पुत्री है.	प्रारूप 9 में
4.	यदि उम्मीदवार प्रवेश के वर्ष की 1 जनवरी को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ केन्द्रीय शासन के कर्मचारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी का पुत्र/ पुत्री है.	प्रारूप 10 में
5.	यदि उम्मीदवार किसी ऐसे व्यक्ति का पुत्र/पुत्री है जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में स्थाई रूप से बस गया है.	प्रारूप 11 में

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2002

क्रमांक 3696/2001/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3695/2001/55 दिनांक 11-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

Raipur, the 11th October 2002

NOTIFICATION

No. 3695/2001/55.—In exercise of the powers conferred by Regulation 15, of the Admission Regulation of Practitioner In Alternative Medicine, the State Government hereby deletes Regulation 3 and Sub-regulations 1, 2, 3, 4, 5, 10 & 11 of Regulation 12 of the said Regulation and makes amendment in Regulation 10, Sub-regulation 12 and 13 of Regulation 12, and Sub-regulation 1 of Regulation 16, as follows :—

10. . Director shall prepare merit lists on the basis of total marks obtained in the qualifying examination for the candidates belonging to Unreserved Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other backward Classes (excluding creay layers) separately. Admission will be given from these merit lists and according to the options given by the candidates.

12. (12) In Private Institution vacant free seats will be fulfilled by the Payment seat candidates on the basis of merit, if they fulfil the domicile requirement of Chhattisgarh.

12. (13) Last date for admission will be declared by the competent authority, and after the stipulated date the seats remaining vacant or fallen vacant will be filled up by the institute, from the waiting list provided by the competent authority, on date and time as declared by the competent authority of Chhattisgarh Chikitsa Mandal and in the presence of its representative and after the stipulated date, no admission will be given in any institute.

16. (1) For admission to the Practitioner In Alternative Medicine course, the candidates shall have to produce the following original certificates/documents along with an attested copy of the same in the institute, other wise they shall loose their chance for admission in the seat/institute according to their order of merit :—

1. Mark sheets of qualifying examination.

2. Affidavit of court if candidate has any obstruction in study from 8th to 10+2 in which it should clearly be mentioned that the candidate did not get admission in any institution and also did not participate in any unlawful activities.

3. Character certificate issued by the Principal of the school, in which the candidate was studying along with period of study.

4. Two attested Passport size photographs.

5. Bonafide domicile certificate in the prescribed Proforma as per the following table :—

TABLE

S. No. (1)	Actual Residential Need (2)	Proforma of Certificate (3)
1.	The candidate must have studied in any institution of Chhattisgarh at least for a period of three consecutive years before 5 year of the year of admission.	Proforma-7
2.	Candidate is a bonafide resident of Chhattisgarh.	Proforma-8
3.	If the candidate is a son of/daughter of Govt./Retired Govt. servant of Chhattisgarh Died during the service period or in Indian Administrative Service from Chhattisgarh.	Proforma-9
4.	If the candidate is son/daughter of Central Govt. employee posted in Chhattisgarh or the employee of a public Undertaking on or before 1st January of the year of admission.	Proforma-10
5.	If the candidate is a son/daughter of any Person who has been settled permanently in Chhattisgarh, under any scheme of the State Govt./Central Govt.	Proforma-11

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRAMOD SINGH, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.